10 रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(25)

निगरानी प्रकरण क्र..................

प्रस्तुति दिनांक 21/10/2016

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के न्यायालय में

निग – 3651 – PBR/16

(1) राजेन्द्र कुमार पिता श्री विष्णुप्रसाद गर्ग
(2) अशोक कुमार पिता श्री विष्णुप्रसाद गर्ग
(3) लीलाधर पिता श्री विष्णुप्रसाद गर्ग
(4) लोकेन्द्र कुमार पिता श्री विष्णुप्रसाद गर्ग
(5) अजय कुमार पिता श्री विष्णुप्रसाद गर्ग
(6) दिलीप कुमार पिता श्री विष्णुप्रसाद गर्ग
सभी निवासीगण– सरदारपुर, तह. सरदारपुर
जिला धार (म.प्र) ....प्रार्थीगण

विरूद्ध

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा
श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला धार (म.प्र)

(2) श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व क्षेत्र, सरदारपुर, जिला धार (म.प्र)
तह. व जिला इंदौर (म.प्र) ....प्रतिप्रार्थी

Dipesh Garg Adv Indore 21/10/16

21.10.16

21-10-16

345 21.10.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत

यह निगरानी प्रार्थीगण के द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर के द्वारा प्रेषित कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 3044 दिनांक 10/ 10/2016 से असंतुष्ट होकर इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य

(1) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवम् आधिपत्य की कस्बा सरदारपुर तहसील व जिला धार में सर्वे नम्बर 572 रकबा 4.839 हेक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि पैकी 0.241

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3651-पीबीआर/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	